

## छत्तीसगढ़ विधान सभा

### पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2024 (भाद्रपद 12, 1946)

### माननीय श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना.

पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार की ओर से यह सूचना दी गई है कि—

दिनांक 10.06.2024 को बलौदाबाजार में घटित तोड़फोड़, आगजनी के हिंसक घटनाक्रम में दर्ज अपराधों के अनुसंधान के दौरान थाना सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार में दर्ज अपराध क्रमांक 386/2024, धारा 153-ए, 505(1), 505(1)(बी), 505(1)(सी), 109, 120बी, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 307, 435, 436, 341, 427 भादवि एवं 3, 4 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65, भिलाई नगर) की अपराध में लिप्तता एवं सक्रियता के साक्ष्य प्राप्त होने पर उन्हें दिनांक 17.08.2024 को समय 21.10 बजे, स्थान बलौदाबाजार से अभिरक्षा में लिया जाकर गिरफ्तार किया गया।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा